



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी म,प्र,

क्रमांक/ /एस डब्ल्यू/2020

सिवनी दिनांक 26/03-2020

2207

आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी के आदेश क्रमांक /2200/एसडब्ल्यू/2020 दिनांक 26/03/2020 के माध्यम से कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सिवनी जिले में कर्फ्यू लगाया गया है।

दैनिक जीवन की आवश्यक/बनुयादी आवश्यकताओं से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ आदि की आपूर्ति सहज सरल किए जाने हेतु विभिन्न दुकानों/प्रतिष्ठानों द्वारा घर पहुंच सेवा (होम डिलेवरी) की जा रही है। साथ ही फसल कटाई हेतु हार्वेस्टर, एस्ट्रारीपर, थ्रेसर आदि मशीनों से फसल कटाई किए जाने हेतु नियमानुसार छूट प्रदाय की गई है।

अतः उक्त सभी से संबंधित व्यापारियों/व्यवसायियों/कृषकों की समस्याओं का निराकरण हेतु निम्न अधिकारियों को लिंक आफिसर नियुक्त किया जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या पर निम्न अधिकारियों से समन्वय किया जा सकेगा।


क्र	विवरण	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	लिंक अधिकारी
1	दूध (फुटकर एवं थोक विक्रेताओं) एवं डेयरी संचालकों हेतु	श्री पी. डी. गुप्ता	श्रीमती पायल डाहाते, डेयरी विभाग 7509998940
2		श्री सी.के. चौबे	
3	किराना फुटकर एवं थोक विक्रेताओं हेतु	श्री रविन्द्र पाल	श्री सनत कुमार मिश्रा, खाद्य विभाग 8989090009 श्री संदीप मिश्रा, लोक सेवा विभाग 9425147932
4		श्री विनोद सिंह	
5	सब्जी फुटकर एवं थोक विक्रेताओं हेतु	श्री सुभाष शर्मा	तहसीलदार सिवनी 7587970810 मुख्य नगरपालिका अधिकारी सिवनी 7024322555 श्री संदीप मिश्रा, लोक सेवा विभाग 9425147932
6		श्री आशीष तिवारी	
7	हार्वेस्टर, एस्ट्रारीपर, थ्रेसर हेतु	श्री दिनेश खांडेलकर	श्री एस के धुर्वे, कृषि विभाग 9826334387
8		श्री सतेन्द्र अवधिया	
9	पशु आहार विक्रेताओं हेतु	श्री सत्यप्रकाश नामदेव	श्री राजेश ठाकुर, पशुपालन विभाग 9424950700, 7999339688
10		श्री रोहित चावले	

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा।


(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर

जिला - सिवनी

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कमिश्नर जबलपुर, संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. समस्त तहसीलदार, जिला सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. उपसंचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय सिवनी की ओर प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश से संबंधित समाचार समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की ओर पालनार्थ।


कलेक्टर
जिला - सिवनी